डीबीओडी. सं. आरईटी. बीसी. 43/सी. 195-83

24 मई 1983

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 - फार्म X में विवरणी

जैसा कि आपको पता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अनुसार प्रत्येक बैंक को प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को कारोबार बंद होने पर भारत में अपनी परिसंपत्तियाँ और देयताएं दिखानेवाली विवरणी फार्म X में भरकर हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करनी होती है। साथ ही, इन मासिक विवरणियों के अतिरिक्त बैंकों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की विवरणी भी फार्म X में प्रस्तुत करनी होती है। मशीन पर विवरणियाँ हम आसानी से तैयार कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि बैंक विवरणियाँ फार्म X में एक समान फार्मेट और आकार में प्रस्तुत करें। अतएव, आपसे यह अनुरोध है कि मार्च 1983 के अंतिम शुक्रवार से संबंधित विवरणी, फार्म X की विवरणियाँ आपका बैंक दो प्रतियों में प्रस्तुत करे। (कृपया यह नोट करें कि आपके द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियों का आकार प्रोफार्मा के समान होना चाहिए।) कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि उप-मदों के सामने दिये गये आंकड़ों का जोड़ संबंधित मद के सामने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उप-पदें 3-1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2 के सामने दर्शाये गये आंकड़ों के जोड़ मद 3 के सामने दर्शाये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक के पास दिखाने के लिए यदि कोई आंकड़ा न हो तो संबंधित मद/उप-मद के सामने "कुछ नहीं" दिखाया जाये। आपके बैंक को आबंटित कूट संख्या संलग्न प्रोफार्मा के ऊपर एक बाक्स में दी गयी है और आपके बैंक द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों में वह कूट संख्या अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। कृपया यह नोट करें कि आपके बैंक द्वारा विवरणियाँ फार्म X में हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अब तक की तरह ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

DBOD. No. Ret.BC.43/C.195-83

May 24, 1983

All Commercial Banks,

Dear Sirs,

SECTION 27 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949—RETURN IN FORM X

As you are aware, in terms of section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, every bank is required to submit a return in Form X, showing its assets and liabilities in India as at the close of business on the last Friday of every month, to our concerned Regional Offices. Further, in addition to these monthly returns, banks are also required to submit a return in Form X as on the 31st March every year. In order to facilitate the processing of the returns by us on a machine, it is necessary that banks should submit the returns in Form X in uniform format and size. We shall, therefore, be glad if commencing from the return relating to the last Friday of March 1983, the returns in Form X are submitted by your bank, *in duplicate*, as in the proforma enclosed. (Please note that the *size* of the return submitted by you should be the same as the proforma). It may please be ensured that the total of the figures reported against sub-items is shown against the respective item. For instance, the total of the figures reported against sub-items 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2 should be shown against item 3. Further, in case your bank has no data to report, it may be indicated by 'Nil' against the respective item/sub-item. The code number allotted to your bank is given in the box on top of the enclosed proforma and it should invariably be filled in the returns submitted by your bank. Please note that the returns in Form X should be submitted by your bank to our concerned Regional Office as hitherto.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अनुसार, बैंकों को फार्म X में विवरणी जिस महीने से वह संबंधित हो उसके बाद के महीने की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करनी होती है। तथापि, यह पाया गया है कि कुछ बैंक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि फार्म X में विवरणी भरने में अपने बैंक को चुस्त बनायें और यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक विवरणियाँ निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करता है।

भवदीय

एस. एस. एच. झुरानी

उप मुख्य अधिकारी

अनुलग्नक

2. According to Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, banks are required to submit the return in Form X before the close of the month succeeding that to which it relates. However, it has been observed that there is inordinate delay in the submission of the returns by some banks. We shall be glad if you will please gear up the machinery in your bank for the compilation of the return in Form X and ensure that the returns are submitted by your bank within the prescribed period.

Yours faithfully,

S.S.H. JHURANI

Deputy Chief Officer

Encl:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
फार्म X (धारा 27)

बैंकिंग कंपनी का नाम : _____

_____ महीने के अंतिम शुक्रवार को भारत में देयताएं और आस्तियाँ

बैंक कूट

भाग

(राशि निकटतम हजार रुपयों में)

(अ) भारत में देयताएं	राशि	(आ) भारत में आस्तियाँ	राशि
1. चुकता पूंजी (जब्त * किये गये शेयरों सहित)		**1. हाथ में नकदी**	
2. प्रारक्षित निधि तथा अन्य प्रारक्षित निधियाँ		**2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष**	
2.1 प्रारक्षित निधि		**3. भारत में अन्य बैंकों के चालू खातों में जमा**	
2.2 अन्य प्रारक्षित निधियाँ		3.1 भारतीय स्टेट बैंक	
2.3 शेयर प्रीमियम खाता *		3.2 भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	
3. जमाराशियाँ		3.3 अन्य वाणिज्य बैंक	
3.1.चालू जमाराशियां		3.4 सहकारी बैंक	
3.1.1 बैंकों से प्राप्त (सहकारी बैंकों सहित)		**4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	
3.1.2 अन्य से		4.1 वाणिज्य बैंकों के पास	
3.2 बचत जमाराशियाँ		4.2 सहकारी बैंकों के पास	
3.3. मीयादी जमाराशियाँ (नकदी प्रमाणपत्र आवर्ती जमा आदि सहित)		4.3 अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास	
3.3.1 बैंकों से प्राप्त (सहकारी बैंकों सहित)		**.5 निवेश** 5.1 खजाना बिल	
3.3.2 अन्य से		5.2 केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियाँ (खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र और अन्य डाक बचत पत्र और जमाराशियों सहित)	

(अ) भारत में देयताएं	राशि	(आ) भारत में आस्तियाँ	राशि
4. उधार $			
4.1 भारत में बैंकों से उधार			
4.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक			
4.1.2 भारतीय स्टेट बैंक			
4.1.3 भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक			
4.1.4 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक			
4.1.5 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक			
4.1.6 अन्य वाणिज्य बैंक			
4.1.7 सहकारी बैंक			
4.2 भारत के बाहर बैंकों से उधार			
5. अन्य देयताएं			
5.1 भारत में देय बिल			
5.1.1 भारतीय कार्यालयों द्वारा आहरित			
5.1.2 विदेशी कार्यालयों द्वारा आहरित			
5.2 भारत के बाहर देय बिल			
5.3 शेयर पूंजी के संबंध में अग्रिम मांग *			
5.4 विविध देयताएं			
6. शाखा समायोजन @			
6.1 भारत में स्थित कार्यालयों के बीच			
6.2 भारत के बाहर स्थिति कार्यालयों के साथ * *			
		5.3 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	
		5.4 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	
		5.5. कंपनियों और निगमों के शेयर और **डिबेंचर जो उपर्युक्त 5.4 में** सम्मिलित नहीं हैं।	
		5.6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ **(सहकारी बैंकों सहित)**	
		5.7 भारत में अन्य निवेश	
		6. खरीदे और भुनाये गये बिल	
		6.1 खरीदे और भुनाये गये अंतर्देशीय बिल	
		6.2 खरीदे और भुनाये गये विदेशी बिल	
		6.2.1 भारत में आहरित निर्यात बिल	
		6.2.2 भारत में आहरित और देय आयात बिल	
		6.2.3 खरीदे और भुनाये गये अन्य विदेशी बिल	
		6.2.3.1 भारत में देय	
		6.2.3.2 भारत के बाहर देय	
		7. ऋण और अग्रिम	
		7.1 **ऋण और अग्रिम नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट् (नीचे के मद 7.2 द्वारा बैंकों से प्राप्य** राशियों को छोड़कर)	
		7.2 **बैंकों से प्राप्य राशि**	
		7.2.2. भारत के वाणिज्य बैंक	
		7.2.3 भारत के बाहर के बैंक	

(अ) भारत में देयताएं	राशि	(आ) भारत में आस्तियाँ	राशि
		8. परिसर, फर्नीचर, जुड़नार तथा अन्य अचल आस्तियाँ	
7. कुल मांग और आवधिक देयताएं : अर्थात्		9. शाखा समायोजन @	
		9.1 भारत स्थित कार्यालयों के बीच	
क मद 3 पद अ3 अ4 और अ5 का जोड़		9.2 भारत के बाहर स्थित कार्यालयों के साथ * *	
8. शेष लाभ		10. प्रारंभिक व्यय, संगठनात्मक व्यय, शेयर बिक्री कमीशन, दलाली, हानि और दृश्य आस्तियों	
		में न दिखाया गया कोई अन्य व्यय आदि	
		सहित पूंजीगत व्यय ***	
		11. दावों की वसूली के रूप में प्राप्त गैर बैंकिंग आस्तियाँ	
		12. अन्य दृश्य आस्तियाँ	
कुल देयताएं		कुल आस्तियाँ	

$ अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये रु. के उधार इसमें शामिल हैं।

भाग II

कुल अग्रिम (उक्त भाग I की आस्तियों की मद सं. 6 और 7 का जोड़)			कुल अग्रिमों (स्तंभ 3 में स्तंभ 2 का प्रतिशत) की तुलना में निर्बंध (गैरजमानती) अग्रिमों का प्रतिशत	कुल जमाराशियाँ (भाग I में देयताएं मद 3)	कुल जमाराशियों में कुल अग्रिमों का प्रतिशत (स्तंभ 5 में स्तंभ 3 का प्रतिशत
जमानती	गैरजमानती (निर्बंध)	कुल			
	2.	3.	4.	5.	6.

भाग III
(धारा25)

(निकटतम हजार रुपयों में पूर्णांकित)

भारत में मांग और मीयादी देयताएं (भाग I देयताओं की मद 7)
(ऐसीमदों को छोड़कर जिन्हें छोड़ने की बैंकों को वर्तमान में अनुमति है,
उदाहरण के लिए वे मदें जो बाहरी देयताओं के स्वरूप की नहीं हैं)

2. उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भारत में धारण करने के लिए आवश्यक आस्तियों की न्यूनतम राशि (उक्त मद सं. I का 75 प्रतिशत)

3. भारत में आस्तियाँ
   3.1 भाग I की आस्तियाँ की मद सं. आ I से 8 तक आ 11 और 12 का जोड
   3.2 **उक्त अधिनियम की धारा 25(3)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा** अनुमोदित प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त 3.1 में शामिल नहीं हैं

दिनांक

हस्ताक्षर
पदनाम

---

* भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू नहीं
@ शाखा समायोजन का शुद्ध शेष देयताओं अथवा आस्तियाँ के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, **दर्शाया** जायें।
** भारतीय कार्यालयों के बकाया उधार राशियों के संबंध में कृपया पाद टिप्पणी दीजिए।
+ रुपया ऋण/भारत के बाहर के बैंकों/प्रतिनिधियों को दिये गये ओवरड्राफ्ट्
*** यदि **लाभ** हानि लेखे का शेष हानि दर्शाता है तो उसे हर मद में शामिल किया जाये।

टिप्पणियाँ (1) भाग I और II के अंतर्गत प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को कारोबार बंद होने के समय के आंकड़े दिये जायें और
भाग III के अंतर्गत मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के अंतिम शुक्रवार को कारोबार बंद होने के समय के आंकड़े दिये जायें।
(2) बैंकों के भारतीय कार्यालयों की विदेशी देयताओं और आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आंकड़े दिये जायें।
(1 **विदेशों में जमा शेष**
(2) विदेशों में निवेश
(3) **खरीदे और भुनाये गये विदेशी बिल जो भारत के बाहर देय है**
(4) भारत के बाहर धारित कोई अन्य आस्तियाँ

(3) सहकारी बैंकों में राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं।
(4) यदि संबंधित शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(1881 का 26) के अंतर्गत सार्वजनिक छुट्टी है तो उसके पूर्ववर्ती **कार्य** दिवस को करोबार समाप्त होने के अनुसार आंकड़े दिये जायें।

THE BANKING REGULATION ACT, 1949
Form X (Section 27)

Name of the Banking Company: _____

Liabilities and Assets in India as on the Last Friday of the month of _____

Bank Code [ ]

P A R T

(Rounded off to the nearest thousand Rs.

(A) LIABILITIES IN INDIA	Amount	(B) ASSET IN INDIA	Amount
Paid-up Capital			
1. Paid-up Capital (including * forfeited shares)		1. **Cash in hand**	
2. **Reserve Fund & Other Reserves**		2. **Balances with the Reserve Bank of India**	
2.1 Reserve Fund		3. **Balances with other banks in India in current account.**	
2.2 Other Reserves		3.1 State Bank of India	
2.3 Share Premium Account *		3.2 Subsidiaries of the State Bank of India	
3. **Deposits**		3.3 Other Commercial Banks	
3.1 Current Deposits		3.4 Co-operative Banks	
3.1.1 From Banks (including Co.op Banks)		4. **Money at call & short Notice**	
3.1.2 From Others		4.1 With Commercial Banks	
3.2 Savings Deposits		4.2 With Co-operative Banks	
3.3 Fixed Deposits (including cash certificates, recurring deposits, etc.		4.3 With Other Financial Institutions	
		5. Investments	
3.3.1 From Banks (including Co.op. Banks)		5.1 Treasury Bills	
3.3.2 From Others		5.2 Other Central Government Securities (including Treasury Savings Deposit certificates & Postal Savings Certificates & Deposits)	

(Rounded off to the nearest thousand Rs.)

(A) LIABILITIES IN INDIA	Amount	(B) ASSET IN INDIA	Amount
4. **Borrowings $**		5.3 State Government Securities	
4.1 Borrowings from banks in India		5.4 Other approved securities	
4.1.1 Reserve Bank of India		5.5 Shares & debentures of companies & corporations not included in 5.4 above	
4.1.2 State Bank of India		5.6 Fixed Deposits with Banks (including Co-operative Banks)	
4.1.3 Subsidiaries of the State Bank of India		5.7 Other Investments in India	
4.1.4 Industrial Development Bank of India	_____	6. **Bills purchased & discounted**	
4.1.5 NABARD	_____	6.1 Inland Bills purchased & discounted	
4.1.6 Other Commercial Banks		6.2 Foreign Bills purchased & discounted	
4.1.7 Co-operative Banks		6.2.1 Export bills drawn in India	
4.2 Borrowings from Banks Outside India		6.2.2 Import Bills drawn on & payable in India	
5. **Other Liabilities**		6.2.3 Other Foreign bills purchased & discounted	
5.1 Bills payable in India		6.2.3.1 Payable in India	
5.1.1 Drawn by Indian Offices		6.2.3.2 Payable outside India	
5.1.2 Drawn by Foreign Offices *		7. **Loans & Advances**	
5.2 Bills payable outside India		7.1 Loans & advances, cash credits & overdrafts (excluding due from banks vide 7.2 below)	
5.3 Calls received in advance *		7.2 Due from banks	
5.4 Miscellaneous liabilities		7.2.1 Co-operative banks in India	
6. **Branch Adjustments @**		7.2.2 Commercial Banks in India	
6.1 Among offices in India		7.2.3 Banks Outside India +	
6.2 With offices outside India **			
7. **Total Demand & Time liabilities i.e. total of items A3, A4 & A5**			
8. **Balance of Profit**			

(Rounded off to the nearest thousand Rs.)

(A) LIABILITIES IN INDIA	Amount	(B) ASSET IN INDIA	Amount
		8. **Premises, Furniture, Fixtures & other fixed assets**	-
		9. **Branch adjustments @**	-
		9.1 Among offices in India	-
		9.2 With offices outside India **	-
		10. Capitalised Expenses including preliminary expenses, Organisational expenses, shares selling commission, brokerage, loss incurred & any other expenditure not represented by tangible assets ***	
		11. **Non-banking assets acquired in satisfaction of claims**	
		12. **Other tangible assets**	
Total Liabilities		Total assets	

Includes borrowings from other financial institutions amounting to Rs.

PART II

Total Advances (Total of Items 6 & 7 of Assets in Part I above)			Percentage of clean (unsecured) advances to total advances (percentage of column 2 to column 3)	Total Deposits (item 3 of Liabilities in Part I)	Percentage of Total Advances to total Deposits (Percentage of column 3 to column 5)
Secured	Unsecured (clean)	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PART III
(Section 25)

(Rounded off to the nearest thousand Rs.)

1. Demand & Time Liabilities in India (Items 7 of Liabilities in Part I) (excluding items which banks are at present allowed to exclude e.g. items not in the nature of outside liabilities).
2. Minimum amount of assets required to be held in India under Section 25 of the Act (75 per cent of item 1 above)
3. Assets in India
   3.1 Total of items B 1 to 8, B 11 & 12 on Assets side in **Part I**
   3.2 Securities approved by the Reserve Bank of India under Section 25(3) (a) of the Act & not included in 3.1 above.

Date :

Signature
Designation

* Not applicable to foreign banks operating in India

@ The net balance of branch adjustments should be shown as liabilities or assets as the case may be.

** Please give in a foot-note, the oustanding borrowings of Indian offices.

+ Comprising rupee loans/overdrafts granted to banks/correspondents outside India.

'** If the balance in the profit & loss account represents loss, it should be included in this item.

Notes

(1) Data under Parts I & II may be furnished as at the close of business on the last Friday of every month & under Part III as the close of business on the last Friday of March, June, September & December.

(2) Data on foreign liabilities & assets of **Indian Offices** of banks may please be supplied for the following items:
   i) Balances held abroad
   ii) Investments held abroad
   iii) Other foreign bills purchased & discounted payable outside India.
   iv) Any other assets held outside India.

(3) Co-operative banks comprise state & central Co-operative banks, co-operative land development bank & Primary Co-operative banks

(4) If the concerned Friday is a public holidy the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), then data may be furnished as at the close of business on the preceding working day.